टीजी – फेम श्रृंखला
(लक्ष्य समूह – वित्तीय जागरूकता संदेश)

स्वयं सहायता समूहों के लिए

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक

संदेश १:

एसएचजी बचत बैंक खातों के लिए केवाईसी

संदेश २:

मार्जिन और सुरक्षा मानदंड

संदेश ३:

स्वैच्छिक बचत

संदेश ४:

एसएचजी के उत्कृष्ट सिद्धांत – भाग ।

संदेश ५:

एसएचजी के उत्कृष्ट सिद्धांत – भाग ।।

स्वयं सहायता समूह

एसएचजी बचत बैंक खातों के लिए केवाईसी
मार्जिन और सुरक्षा मानदंड
स्वैच्छिक बचत
एसएचजी के उत्कृष्ट सिद्धांत – भाग ।। – नियमित चुकौती और बहीखाता रखना
एसएचजी के उत्कृष्ट सिद्धांत – भाग । – आवधिक बैठकें, आवधिक बचत और नियमित आंतरिक ऋण

संदेश 1: एसएचजी बचत बैंक खातों के लिए केवाईसी

मान लीजिए कि आपने बचत और ऋण गतिविधि में शामिल होने के लिए 10 से 20 लोगों का एक एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) बनाया है और आप अब इस एसएचजी के लिए एक बचत बैंक खाता खोलना चाहते हैं।

स्वयं सहायता समूह

एक साथ आने का उद्देश्य : समूह के लिए बचत और ऋण की सुविधा

पदाधिकारी

बैंक खाता खोलने के लिए जांच सूची

सभी पदाधिकारियों का केवाईसी

स्वयं सहायता समूह की ओर से खाता खोलने के लिए पदाधिकारियों को प्राधिकृत करने वाला संकल्प

समूह के सभी सदस्यों का केवाईसी

आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि एसएचजी का बचत बैंक खाता खोलने के दौरान एसएचजी के सभी सदस्यों का केवाईसी सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। सभी पदाधिकारियों का केवाईसी सत्यापन ही पर्याप्त होगा। हालांकि, एसएचजी की तरफ से खाता खोलने के लिए एसएचजी द्वारा प्राधिकृत किए गए पदाधिकारियों के नाम को इंगित करने वाले संकल्प को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

संदेश २: मार्जिन और सुरक्षा मानदंड

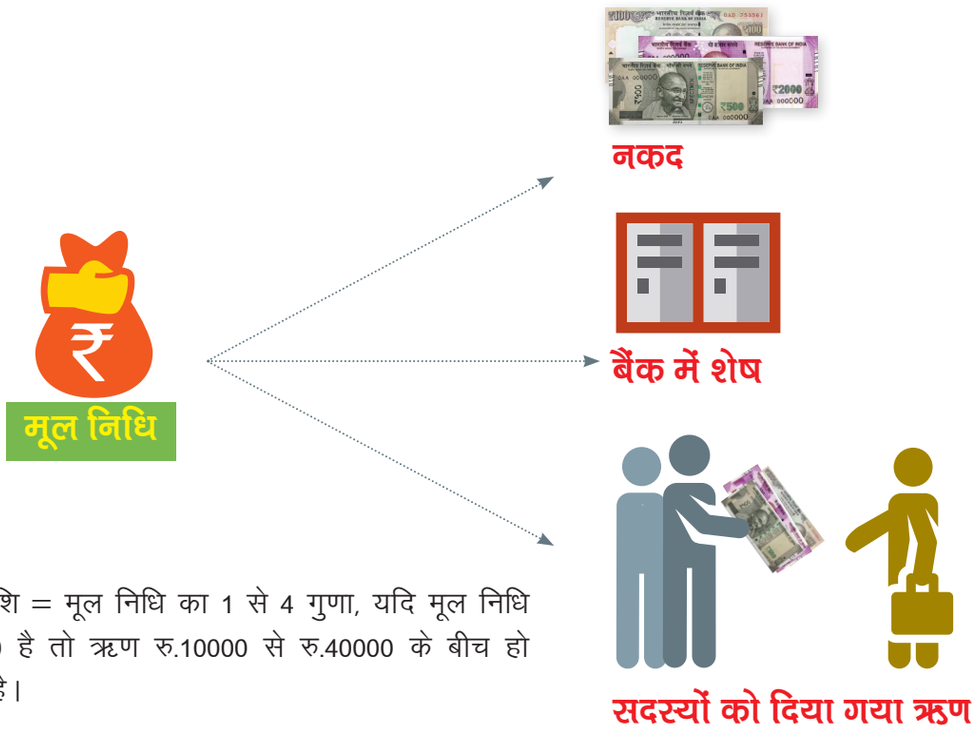

ऋण राशि = मूल निधि का 1 से 4 गुणा, यदि मूल निधि रु.10000 है तो ऋण रु.10000 से रु.40000 के बीच हो सकता है।

बैंक, कुल मूल निधि के आधार पर आपके एसएचजी को ऋण स्वीकृत कर सकता है। मान लीजिए कि आपके एसएचजी की मूल निधि रु.10000 (एसएचजी के पास नकद शेष + बैंक के पास बचत खाता शेष + सदस्यों को दिया गया ऋण) है तो ऋण की राशि रु.10000 से रु.40000 के बीच हो सकती है।

ऋण देने के लिए एसएचजी से कोई संपार्श्विक जमानत नहीं ली जाएगी

मूल निधि से 4 गुणा ज्यादा ऋण राशि तभी संभव है जब
- → एसएचजी कई सालों से सफलतापूर्वक काम कर रहा हो
- → पिछले ऋण समय पर चुकाए गये हो
- → ऋण सुविधा का उपयोग जिम्मेदारी के साथ किया गया हो

संदेश ३: स्वैच्छिक बचत

आमतौर पर एसएचजी सदस्य के रूप में, आप एसएचजी की साप्ताहिक / पाक्षिक / मासिक बैठकों में अनिवार्य बचत के रूप में एक निश्चित राशि का योगदान करेंगे। आपकी कमाई की क्षमता और बचत करने की क्षमता में समय के साथ काफी वृद्धि होगी और यह समूह के अन्य सदस्यों से अलग हो सकती है। अन्य सदस्यों द्वारा किए गए योगदान की तुलना में यदि आप चाहे तो स्वेच्छा से बचत की निर्धारित राशि से अधिक योगदान कर सकते हैं।

समूह के किसी भी सदस्य के पास दो बार बचत योगदान करने का अवसर होगा, एक समूह द्वारा निर्धारित और दूसरा स्वैच्छिक।

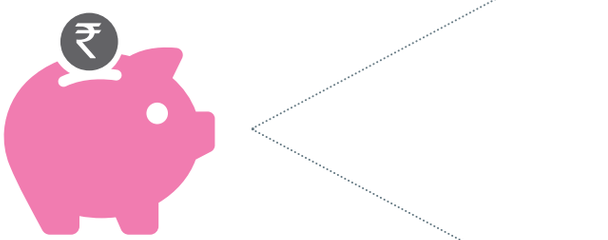

आप अपने अधिशेष को मौजूदा व्यक्तिगत मूल बचत खाते में जमा करते हुए उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं/ अलग से एक बैंक खाता खोल सकते हैं ताकि इन बचतों से आपके द्वारा भविष्य हेतु नियोजित व्यय को पूरा किया जा सके। वैकल्पिक तौर पर, समूह द्वारा निर्धारित किए गए अनिवार्य बचत योगदान को पूरा करने के बाद आप अपने अधिशेष को स्वयं सहायता समूह के पास ही स्वैच्छिक बचत के रूप में रख सकते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना है कि इस हेतु एसएचजी के पास एक उपयुक्त लेखा प्रणाली हो, ताकि इसपर अलग से नजर रखी जा सके।

स्वैच्छिक बचत की गणना दो तरीकों से की जा सकती है:

1. समूह की मूल निधि के हिस्से के रूप में नहीं बनाया जायें ;
2. समूह की मूल निधि के एक हिस्से के रूप में तथा अंतर समूह में ऋण देने के लिए उपयोग किया जाए।

उक्त (2) के मामले में, बैंक द्वारा समूह को दिए जानेवाले ऋण की मात्रा के आकलन हेतु भी इसकी गणना की जाएगी, जो आपके एसएचजी को लाभान्वित कर सकता है क्योंकि एसएचजी को बैंक से बड़ी मात्रा में ऋण मिल सकता है। एसएचजी के सदस्य संयुक्त रूप से यह तय करेंगे कि समूह के सदस्यों द्वारा की गयी स्वैच्छिक बचत क्या ब्याज आय में आनुपातिक हिस्से या समूह से लाभांश लेने के योग्य है या नहीं।

संदेश ४: एसएचजी के उत्कृष्ट सिद्धांत - भाग I

आवधिक बैठकें

समूह के सदस्य बैठकों की आवधिकता का निर्णय लेंगे। ऐसी बैठकों को प्राथमिक रूप से साप्ताहिक आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन एसएचजी की सुविधा के आधार पर पाक्षिक / मासिक आधार पर भी किया जा सकता है।

नियमित बैठकें और नियमित उपस्थितिः समूह की नियमित बैठकें आयोजित करने और उसमें समूह के सभी सदस्यों की भागीदारी, एसएचजी की प्रभावशीलता को मजबूती प्रदान करती है। इसे हासिल करने के लिए, एसएचजी को नियमित बैठकें आयोजित करने और समूह बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति पर विशेष बल देना चाहिए। ऐसी बैठकें आपको एक दूसरे के करीब लाएंगी क्योंकि आप एक–दूसरे की चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।

समूह की बैठकों में सभी सदस्यों की पूर्ण भागीदारी आपके समूह के स्थिरीकरण को सुगम बनाएगी ताकि यह सभी के लाभ और संतुष्टि के लिए कार्य करना शुरू कर दे।

आवधिक बचत

समूह के सदस्य, सबसे गरीब सदस्य की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सभी सदस्यों द्वारा साप्ताहिक / आवधिक आधार पर किए जाने वाले बचत योगदान के संबंध में निर्णय लेंगे।

बचत (छोटी बचत) की आदत एसएचजी का मूल तत्व है और एक मजबूत साझा निधि बनाने में यह सहायक होता है। (लाभ : अनुशासित बचत आपके समूह के लिए एक ऐसे आधारभूत निधि का निर्माण करेगा जिससे कि किसी भी सदस्य को अपने / अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए साहूकारों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।)

ऐसी आवश्यकताओं को इस आधारभूत निधि से आंतरिक उधार देकर पूरा किया जाएगा। बढ़ी हुई आधारभूत निधि, समूह को बैंक से अधिक ऋण प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाएगी।

नियमित आंतरिक उधार

एसएचजी ने बचत के रूप में लगभग 3 से 6 महीने की अवधि में पर्याप्त मात्रा में राशि जमा कर ली है तो वे अपने सदस्यों को उनकी बचत के बदले आकस्मिक खपत और पूरक आय सृजित करने हेतु क्रेडिट आवश्यकताओं के लिए ऋण का लाभ उठाने की अनुमति दे सकते है।

- समूह, सदस्यों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर समूह कोष से आतंरिक ऋण दे सकता है।

- एसएचजी सदस्य आरंभ में कुछ समय के लिए अपने स्वयं के साझा निधि का प्रबंधन करके, न केवल एक दूसरे की वित्तीय जरूरतों का ख्याल रखते हैं बल्कि वित्तीय प्रबंधन और मध्यस्थता के अपने कौशल का विकास भी करते हैं।

- सदस्यों को ऋण देने से, ब्याज दर और आवधिक ऋण किस्तों को स्थापित करने, ऋण की वसूली करने आदि के संबंध में एसएचजी सदस्यों के ज्ञान में भी वृद्धि होती है।

- ऋण का उद्देश्य, राशि, ब्याज की दर, चुकौती की अनुसूची आदि के संबंध में निर्णय समूह द्वारा स्वयं लिया जाना चाहिए।

संदेश ५: एसएचजी के उत्कृष्ट सिद्धांत - भाग II

नियमित चुकौती

ऋण देना और उधार लेना मुख्य रूप से उधारकर्ता के विश्वास और ऋण–पात्रता पर आधारित है। यह उधारकर्ता का कर्तव्य है कि वे समय पर किस्तों का भुगतान करे। किस्तों का विलम्ब से भुगतान करने पर अधिक ब्याज देना पड़ता है, साथ ही क्रेडिट रिकार्ड भी खराब होता है तथा खराब क्रेडिट रिकार्ड / स्कोर के परिणामस्वरूप भविष्य में उधार मिलने में दिक्कत आती है।

व्यक्तिगत सदस्यों का क्रेडिट स्कोर

क्रेडिट स्कोर, किसी भी व्यक्ति की ऋण–पात्रता के संबंध में सांख्यिकीय रूप से प्राप्त हुई एक संख्यात्मक अभिव्यक्ति है जिसे साख सूचना कंपनी (सीआईसी) द्वारा जारी किया जाता है तथा इसका उपयोग बैंकों द्वारा इस बात का पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या व्यक्ति अपने ऋण को चुका पाएगा या नहीं। क्रेडिट स्कोर, अन्य बातों के अलावा, किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट रिकार्ड पर आधारित होता है। यह संख्या 300 से 900 के बीच होती है। क्रेडिट स्कोर जितना अधिक होगा, व्यक्ति को ऋण देने के लिए उतना ही अधिक पात्र माना जाएगा।

बहीखाता रखना

यह महत्वपूर्ण है कि एसएचजी में सभी वित्तीय और गैर–वित्तीय लेनदेन पारदर्शी हो। यह सभी सदस्यों के बीच भरोसा, आपसी विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। खाता–बहियों के साथ ही अन्य रिकार्ड जैसे कि सदस्यता रजिस्टर, कार्यवृत्त रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, नकद बही आदि में नियमित प्रविष्टियां करके उसे अद्यतन बनाए जाने की आवश्यकता है। एसएचजी में, सदस्य वार बचत, स्वैच्छिक बचत और आंतरिक ऋणों सहित सभी लेनदेनों का रिकार्ड रखा जाए तथा उसकी जानकारी नियमित रूप से सदस्यों को दी जाए जिससे सदस्यगण उसे समझने में सक्षम हो सकें।

लाभ:

1. समूह द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की सदस्यों को समय–समय पर जानकारी होती है जिससे वे भविष्य में बेहतर / सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।
2. बहीखाता के रखरखाव से समूह की वित्तीय स्थिति, जैसे कि सदस्यों द्वारा की गई बचत, ऋण, सदस्यों की उपस्थिति, समूह की निधि, वसूली प्रतिशत आदि, के आंकलन में मदद मिलती है।
3. यह सदस्यों के बीच आत्मविश्वास और एकता को बढ़ाने में मदद करता है।
4. यह समूह की ऋण–पात्रता को बढ़ाकर संस्थागत विकास को बढ़ावा देता है।
5. यह समूह को अपने प्रदर्शन की निगरानी करने में सक्षम बनाता है।
6. बेहतर बहीखाता व्यवस्था, समूह को बाहरी संसाधनों जैसे कि बैंक एवं अन्य एजेंसियों से ऋण प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाता है।
7. बेहतर बहीखाता व्यवस्था के माध्यम से समूह अपने सदस्यों के बीच वित्तीय लेनदेन की पारदर्शिता को प्रोत्साहित करता है, जिससे समूह की सुदृढ़ता और स्थिरता को मजबूती मिलती है।
8. यह सार्वजनिक संस्थानों की दृष्टि में समूह को मान्यता दिलाता है।
9. बेहतर बहीखाता व्यवस्था, समूह के प्रदर्शन संबंधी रेटिंग को बढ़ाने में मदद करता है।

लक्ष्य विशिष्ट वित्तीय साक्षरता सामग्री

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मोहंती की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ से संबंधी समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश यह था कि वित्तीय शिक्षा के लिए ''सभी के लिए एक ही शिक्षा'' वाला दृष्टिकोण शायद उचित न हो क्योंकि विभिन्न लक्ष्य समूहों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप, सामग्री को विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए अनुकूल बनाए जाने की आवश्यकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन और विकास विभाग ने पांच अलग–अलग समूहों अर्थात किसान, लघु उद्यमियों, स्कूली बच्चों, एसएचजी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कस्टमाइज्ड वित्तीय साक्षरता सामग्री का निर्माण किया है। यह पुस्तक कस्टमाइज्ड वित्तीय साक्षरता सामग्री पर पांच पुस्तकों की श्रृंखला में से एक है।

अस्वीकरण

यह पुस्तक, पढ़ने और शिक्षण सामग्री के रूप में प्रस्तुत की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य पाठक को वित्तीय साक्षर बनाना है। इसका उद्देश्य किसी भी विशेष वित्तीय उत्पाद/दों या सेवा/ओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए पाठक को प्रभावित करना नहीं है।

प्रतिलिप्याधिकार

प्रथम संस्करण – अप्रैल 2018
सामग्री को पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति है, बशर्ते स्रोत की जानकारी दी गई हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट
मुंबई,
द्वारा लिखित और प्रकाशित

अभिस्वीकृति

डिजाइनः कौशिक रामचंद्रन

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक

10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय

मुंबई 400001, भारत